

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 26/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
इंडसइंड बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय- ब्लॉक ए, 11^{वा} फ्लोर, हयात रीजेन्सी कॉम्प्लेक्स, बीकानरी
कामा प्लेस, नई दिल्ली।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. शंकर मशीनरी प्रोडक्ट्स,
पता:- चांदपोल के बाहर झोटवाडा रोड, जयपुर।
2. श्री विनोद सैनी,
3. श्रीमती सरोज सैनी,
पता :- प्लॉट नं. 16, ग्रीन टाऊन स्कीम, बैनाड रोड झोटवाडा, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation
and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement
of Security Interest Act, 2002

उपस्थित

1. श्री शैलेंद्र सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 02.02.2023


1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु दिनांक 08.12.2020 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती सरोज सैनी के स्वामित्व की संपत्ति 1. प्लॉट नं. 15-ए, ग्रीन टाऊन स्कीम, बैनाड रोड, झोटवाडा, जयपुर, क्षेत्रफल 200 वर्गगज एवं 2. प्लॉट नं. 16, ग्रीन टाऊन स्कीम, बैनाड रोड, झोटवाडा, जयपुर, क्षेत्रफल 198.70 वर्गगज का बंधक रख कर कुल राशि 01,31,47,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 11.03.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पत्र बन्धक सम्पत्ति का शैथिल्य रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुनिस इम्वेस्ट उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को सूँहर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभाँति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 01,31,47,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्राथी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्राथीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 01.48.30.803.45/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्राथीगण को दिनांक 11.03.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्राथीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्राथीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्राथी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्राथी श्रीमती सरोज सैनी के स्वामित्व की बंधक संपत्ति 1. प्लॉट नं 15-ए, ग्रीन टारुन स्कीम, बैनाड रोड, झोटवाडा, जयपुर क्षेत्रफल 200 वर्गगज एवं 2 प्लॉट नं 16, ग्रीन टारुन स्कीम, बैनाड रोड, झोटवाडा, जयपुर, क्षेत्रफल 198.70 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्राथी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राथी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। आदेश आज दिनांक 02.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।




 (प्रकाश राजपुरोहित)
 जिला मजिस्ट्रेट
 (कलक्टर) जयपुर